जैव-विविधता और बौद्धिक सम्पदा अधिकार

उत्कर्ष घाटे

पिछली सहस्राब्दि ने भारत को सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी जैसे बौद्धिक क्षेत्रों में एक विश्व शक्ति की हैसियत में उभरते देखा है। लेकिन इसी के साथ भारत की जैव-विविधता और पारम्परिक ज्ञान को लेकर कई लड़ाइयां भी सौगात स्वरूप मिलीं। मसलन, नीम, हल्दी और बासमती के कुछ खास उपयोग अमरीका में पेटेंट करा लिए गए। भारत की पारम्परिक सम्पदा पर थोपे इन विदेशी एकाधिकारों को लेकर काफी बवाल मचा। हल्दी को लेकर तो भारत सरकार ने न केवल लड़ाई लड़ी, बल्कि उसके पेटेंट को रद्द भी करवा दिया। बासमती पर विजय अभी भी अप्राप्य बनी हुई है, लेकिन नीम के पेटेंट को लेकर यूरोपीय अदालतों में सवाल उठे हैं। यह लेख इन्हीं मुद्दों पर, खास तौर पर इस सिलसिले में उभरने वाली चुनौतियों व रणनीतियों पर केन्द्रित है।

जैव प्रौद्योगिकी के छात्रों के लिए यह मसला खास महत्व का है क्योंकि यह एक ऐसा उद्योग है जो शायद जल्दी ही विश्व अर्थव्यवस्था के आधे भाग को गढ़ सकेगा। जैव-विविधता को कच्चे माल की तरह बरतते हुए जैव प्रौद्योगिकी जल्द ही फसल की कीट और दबाव प्रतिरोधी कुछ नई किस्में उपजा सकेगी। साथ ही यह नई दवाओं तथा खनन के दौरान उत्पन्न हुए कचरे के जीवाणुपरक पाचन जैसे साफ-सफाई के नए तरीकों पर बल दे सकती है। इनमें से अधिकांश ईजादों का पेटेंट होगा इसलिए इस खेल पर हमें अपनी पकड़ बनाना ज़रूरी है।

वैश्विक पेटेंट

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर) का रूप विभिन्न देशों में अलग-अलग है (देखे बॉक्स-1)। इस तरह कोई भारतीय पेटेंट किसी दूसरे देश में (जैसे कि अमरीका में या अमरीकी पेटेंट भारत में) अपने आप वैध नहीं हो जाता। यही कारण है कि हर देश के भीतर एक नया पेटेंट हासिल करना ज़रूरी होता है जिससे लागत और प्रयास बढ़ जाते हैं। इन मुश्किलों को कम करने के लिए विकसित देशों ने आईपीआर कार्यप्रणाली को वैश्विक विस्तार देने के कई प्रयास किए हैं। इस तरह के सबसे महत्वपूर्ण प्रयास की शुरुआत 1994 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्ड टेरिफ (जीएटीटी या गैट) नामक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के साथ हुई। इसमें व्यापार सम्बंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार (टीआरआईपीएस या ट्रिप्स) समझौता शामिल है, जो प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों से जुड़ी तमाम घरेलू और विदेशी ईजादों को संरक्षण देने हेतु सदस्य देशों को बाध्य करता है। इसके मुताबिक सन् 2005 से कोई भी अमरीकी पेटेंट भारत में और कोई भी भारतीय पेटेंट अमरीका में प्रभावी हो सकता है। प्राकृतिक वनस्पतियों, पशुओं और उनके प्रजनन के प्राकृतिक तरीकों को तो पेटेंटीकरण से मुक्त रखा जा सकता है, किन्तु सुक्ष्मजैविकी को नहीं। फसल की नई किस्मों को पेटेंट या किसी अन्य कारगर व्यवस्था के ज़रिए संरक्षित किया जा सकता है। पेटेंट के द्वारा संरक्षण की अवधि का समान रूप से 20 वर्ष होना और इसमें उत्पादन की प्रक्रियाओं, उत्पादों या दोनों का संरक्षण अनिवार्य है (देखें बॉक्स-2)।

इन बदलावों ने स्वास्थ्य और खाद्य के क्षेत्रों में गम्भीर चिन्ताएं पैदा कर दी हैं, खासकर उन देशों में जिनमें अभी हाल तक या तो आंशिक रूप से या फिर बिलकुल ही आईपीआर संरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाता था। उदाहरण के लिए भारत कृषि क्षेत्र में कोई पेटेंट मान्य नहीं करता है। यहां सिर्फ औषधि क्षेत्र में प्रक्रियागत पेटेंट दिया जाता है, वह भी मात्र सात वर्षों के लिए। इससे भारतीय कम्पनियों को देश से बाहर पेटेंट-प्राप्त औषधियों का आयात करने, उनकी निर्माण पद्धति में थोड़ा नयापन लाने और फिर इन नवीनीकृत औषधियों